



**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpeccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो०बजट-27/2017-1071 दिनांक : 21.08.2017

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर/चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा/चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा/कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण, वनभूमि पर भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण एवं शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) के लिए कुल रु० 1652.793 लाख (सोलह करोड़ बावन लाख उनासी हजार तीन सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो०ब०-32/2017-22/स्वी० व०प० राँची दिनांक 09.08.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो०बजट-32/2017- 57/आ० व०प० दिनांक 09.08.2017।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु० 1652.793 लाख (सोलह करोड़ बावन लाख उनासी हजार तीन सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789580103	1003.452
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789580323	649.341
कुल :-		1652.793

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (ग) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से (ग), स्थल विवरणी अनुलग्नक-3 (क) से (ग) पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— पी० 19S240601789580103 तथा पी० 19S240601789580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर एतद् संबंधी निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित ज़िलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जायेग तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

8. योजना का कार्यान्वयन स्वीकृत स्थल विशेष प्राक्कलन, प्रदत्त तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. वैधानिक लेवी/ करों, विनियम दरों/ अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, रॉची

की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुसार किया जायेगा।

15. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वसनभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-27 / 2017-1071 दिनांक- 21.08.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ हजारीबाग/ चतरा/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-27 / 2017-1071 दिनांक- 21.08.2017

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/ चतरा/ कोडरमा/ हजारीबाग/ गढ़वा/ लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (₹० लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेए)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	140.00	44.095	31.922	76.017
2	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	140.00	44.095	31.922	76.017
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	305.00	96.063	69.545	165.608
4	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	50.00	15.748	11.400	27.148
5	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	180.00	56.693	41.043	97.736
6	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	50.00	15.748	11.400	27.148
7	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	80.00	25.197	18.241	43.438
8	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	200.00	62.993	45.602	108.595
योग :-		1145.00	360.632	261.075	621.707




अपर प्रधान मुख्य वन संस्कार, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (₹0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर	250.00	116.674	67.433	184.107
2	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	150.00	70.004	40.460	110.464
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	100.00	46.669	26.973	73.642
4	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	65.00	30.335	17.532	47.867
5	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	162.00	75.605	43.696	119.301
6	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	100.00	46.669	26.973	73.642
7	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	200.00	93.339	53.946	147.285
योग :-		1027.00	479.295	277.013	756.308




अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (रु0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय / प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	वित्तीय वर्ष 2017-18		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	100.00	38.935	26.489	65.424
2	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	100.00	38.935	26.489	65.424
3	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	80.00	31.147	21.191	52.338
4	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	100.00	38.935	26.489	65.424
5	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	40.00	15.573	10.595	26.168
योग :-		420.00	163.525	111.253	274.778



अपर श्रीधान भुपेंद्र वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना

पौधों की संख्या प्रति हेठो : 1000 पौधे

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्रम	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अधिग्रह कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु 229.90	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु ० में)	सामग्री (रु ० में)	कुल ल्याय (रु ० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2017-18 में अधिग्रह कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु 229.90							
1	सर्वक्षण एवं सीमांकन	हेठो	3	689.70	0.00	689.70	
2.1	सामान्य झाड़ी	हेठो	7	1609.30		1609.30	
2.2	कटबेक / कॉपसिंग, कलाइम्बर कटिंग, स्टम्प इंसिंग आदि	हेठो	10	2299.00		2299.00	
3	घेरान कार्य			0.00			
3.1	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई इंसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन पति हेठो	12	2758.80	11782.74	14541.54	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रैच खोदी गयी हैं तो ट्रैच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हो।
4	वित्तीय वर्ष 2018-19 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु 264.39 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार मानते हुए	हेठो	22	5057.80		5057.80	
5	मृदा एवं जल संरक्षण-गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेनेशन डेम/कंटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हेठो	45	10345.50		10345.50	
6	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हेठो	10	2299.00		2299.00	
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिटटी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हेठो		0.00	1350.00	1350.00	
8	विकिध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हेठो		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य	हेठो	28.00	6437.20	9518.75	15955.95	
योग :-			137.00	31496.30	22801.49	54297.79	

अनुलग्नक-2 (ख)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम— भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना वन भूमि अंतर्गत वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हेठो : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० x 2 मी०)

क्रम	अधिग्रह कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु ० में)	सामग्री (रु ० में)	कुल ल्याय (रु ० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	8
1 सर्वक्षण एवं सीमांकन							
1	सर्वक्षण एवं सीमांकन	हेठो	3.00	689.70	0.00	689.70	
2	सामान्य झाड़ी	हेठो	7.00	1609.30	0.00	1609.30	
3	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई इंसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक-01.04.2014 से लागू का आईटम सं 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन पति हेठो	12	2758.80	11782.74	14541.54	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रैच खोदी गयी हैं तो ट्रैच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदापि प्रयोग न हो।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 1666 पिट प्रति हेठो (सरेखन एवं मृदा प्रोफाईल पिट सहित)	हेठो	36.50	8391.35	0.00	8391.35	
5	वित्तीय वर्ष 2018-19 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु 264.39 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार मानते हुए	हेठो	16.50	3793.35	0.00	3793.35	

9

6	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)		0.00	0.00	2240.00	2240.00	
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य: कंटूर ट्रैचिंग— 120, कंटूर ट्रैच साईज 5 मी० X 0.3 X 0.3 मी० का खोदा जाना जिसके बीच की दूरी 2मी० से 3मी० हो तथा इसकी मिट्टी का नीचे ढाल पर 0.15 मी० हट कर 0.30 मी० की चौड़ाई में 0.15 मी० गहरा कोड़नी कर रखा जाना	हे०	55.00	12644.50	0.00	12644.50	
8	सिल्ट डिटेन्शन डैम, चेक डैम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरिण्ट नियंत्रण कार्य आदि	हे०	25.00	5747.50	0.00	5747.50	
9	गली प्लगिंग	हे०	10.00	2299.00	0.00	2299.00	
10	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
11	प्रवेश बिन्दु कार्य		38.00	8736.20	12800.40	21536.60	
योग :-			203.00	46669.70	26973.14	73642.84	


अनुलग्नक-2 (ग)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर
योजना का नाम : 2500 पौधे का वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे
पौधों की दूरी : 2 मी० x 2 मी०

क्रम	वित्तीय वर्ष 2017-18 में अभियन कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 2299.90	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	हे०	3	689.70	0.00	689.70	
2	सामान्य झाड़ी	हे०	7	1609.30		1609.30	
3	मशीन द्वारा ट्रैच खुदाई ड्रेसिंग सहित (जल संसाधन विभाग की अनुसूचित दर सूची दिनांक—01.04.2014 से लागू का आईटम सं० 7.1.43.1 से 9.1 प्रतिशत संवेदक लाभ घटाकर दर)	6 चेन पति हे०	12	2758.80	11782.74	14541.54	यदि पूर्व में वृक्षारोपण के कारण ट्रैच खोदी गयी है तो ट्रैच भरने के कारण जितने मात्रा में खोदी जानी है उसी अनुपात में मानव दिवस समायोजित होंगे। मजदूरों से कार्य कराने के प्रावधान करने के समय वन संरक्षक का यह दायित्व होगा कि मशीन का कदाचि प्रयोग न हो।
4	मृदा कार्य (0.3 मी. x 0.3 मी. x 0.3 मी.) 0.027 क्यू० मी० 2500 पीट प्रति हे० (संरेखन एवं मृदा प्रोफाइल पिट सहित)	हे०	55	12644.50	0.00	12644.50	
5	मृदा एवं जल संरक्षण—गली प्लगिंग/सिल्ट रिटेनेशन डैम/कंटूर आदि (आवश्यकता अनुसार)	हे०	10	2299.00		2299.00	
6	वित्तीय वर्ष 2018-19 में समाप्त कार्य (द्वितीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 264.39 (वृद्धि 15%) वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार मानते हुए	हे०	25	5747.50		5747.50	
7	सामग्री (पॉलिथीन थैली, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन, मिट्टी पुवाल, पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	हे०		0.00	3375.00	3375.00	
8	विविध कार्य (छायांकन, साईन बोर्ड, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०		0.00	150.00	150.00	
9	प्रवेश बिन्दु कार्य	हे०	57.00	13185.70	11181.45	24367.15	
योग :-			169.00	38934.50	26489.19	65423.69	

अपार प्रदान मुख्य वन संरक्षक विकास,
जारखण्ड, राँची



प्रितीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वयित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (पुरानी—मूँ—संरक्षण एवं वनरोपण योजना) के अन्तर्गत अवकृष्ट वर्णों पर वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी ।

क्र0 सं0	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	थाना / आना नं0	स्थल / ग्राम का नाम	प्लॉट संख्या	रकवा (हे0 मे)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	xi
1	पलामू	मेदीनीनगर वन प्रमंडल	छतरपुर पश्चिमी	हरिहरांज	हरिहरांज-180	महवरी	8(पटी),910,11(पटी)	50
					हरिहरांज-77	जगदीशपुर	1,4,5	40
					हुसेनाबाद	दुधिया	3,5,6,9,10	50
								140
2	चतरा	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल	हंटरांज प्रक्षेत्र प्रतापपुर प्रक्षेत्र	हंटरांज	हंटरांज-02	सागासोत	2P, 3P, 4P, 5P,	30
					प्रतापपुर	अदौरिया	62, 65, 66, 125, 126	30
					कुन्दा	पिंजरी	231, 233, 234, 235,	40
					राजपुर प्रक्षेत्र	काल्हैया	2, 420, 425P, 956P	40
								140
3	चतरा	चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल	सिमरिया प्रादेशिक प्रक्षेत्र	सिमरिया	सिमरिया-110	केन्द्र	325, 327, 328, 329	30
					सिमरिया वनरोपण प्रक्षेत्र	बन्हे	106, 107, 108, 110, 111	40
					पिरी प्रक्षेत्र	सिमरिया-189	मरहा	222, 223, 224, 279, 282, 485, 486
					टण्डवा प्रक्षेत्र	टण्डवा	नयाखाप	50
					लावालौंग प्रक्षेत्र	ईटखोरी-125	केन्द्रुआ	6, 35, 423P
					चौपारण वनरोपण	ईटखोरी-215	2, 3, 5, 6	50
					लावालौंग प्रक्षेत्र	ईटखोरी	खैरा	40
							138, 227, 228,	40
							सहरजाम	50
							4199, 4200, 4201, 4202	45
4	कोडरमा	कोडरमा वन प्रमंडल	कोडरमा प्रक्षेत्र	डोमचांच	कोडरमा-03	जानपुर	1119, 1210	50
								50
						योग :-		50

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,

શાસ્ત્રવિજ્ઞાન, ગુરુત્વ |


20

द्वितीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं बनरोपण योजना) के अन्तर्गत भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का अग्रिम कार्य का स्थल विवरणी।

क्रम संखा	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	आना नं०	स्थल / ग्राम का नाम	प्लॉट संख्या	रकवा है० में
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
1	पलमू	मेदीनीनगर वन प्रमंडल	छतरपुर पूर्वी पाटन	छतरपुर-265 पाटन	छतरपुर-265 पाटन	खोड़ी कनौदी	1279,1283 70,86,91	50 50
			कुन्द्री	पांकी	पांकी-580	होटवार	1665	50
			डालटनगंज वनरोपण	चैनपुर	चैनपुर-54,55,53	तालापारा,झलवार,झुरुवार,उलमान	01(p),128(p),129(p)	50
					चैनपुर-64	नेनआ गंगधारा	755,638	50
						योग :-		250
2	चतरा प्रमंडल	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल	प्रतापपुर प्रक्षेत्र	प्रतापपुर	प्रतापपुर-72	राजपुर	468,470	40
				हंटरगंज प्रक्षेत्र	हंटरगंज-04	खरैंटी	352P,353P	50
				राजपुर प्रक्षेत्र	काहाचूही	चतरा-72	भाग कुरकुटा	289,287,288,264,262,194,165
				चतरा वनरोपण	काहाचूही	चतरा-127,121	सिमरिया बकायुम्बा	3,11,12,239,1189,1191
						योग :-		30
3	चतरा प्रमंडल	चतरा दक्षिणी वन	टण्डवा प्रक्षेत्र	टण्डवा	टण्डवा-75	करमाटेड	112,3P,4P,5P	40
			चतरा प्रक्षेत्र	गिद्वौर	गिद्वौर-28	सिन्दुआरी कला	1,2,361,364,478	60
						योग :-		100
4	गिरिडीह प्रमंडल	हजारीबाग पूर्वी वन	बगोदर वन प्रक्षेत्र	सरिया	बगोदर-253	पोचरी	964,1026	35
			बगोदर वनरोपण प्रक्षेत्र		बगोदर-28	नगरकेशवारी	4055,3982P,3956	30
						योग :-		65



क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	आना / थाना नं०	स्थल / ग्राम का नाम	खाँट संख्या	रकवा है० में
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
5	हजारीबाग प्रमंडल	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल	बड़कागांव प्रक्षेत्र बरही वनरोपण प्रक्षेत्र	बड़कागांव बरही	बड़कागांव-52 बरही -100/101	बेपाकला कंडाघोघर / गवास	535P, 536P, 537, 613, 614P, 2136P	60 50
6	गढ़वा	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, गढ़वा	सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, नगर।	खरेंधी नगर उंटरी	भवनाथपुर-13 गढ़वा-156	मझिगावा - I कुम्भाकला	1, 2, 3, 4, 5P, 6P 662P, 663, 664, 678, 687, 688	50 50
7	लातेहार	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, बालूमाथ	लातेहार चन्दवा	लातेहार-239 बालूमाथ-251	शीशी बारी	67, 91, 320, 431, 351, 354, 432, 444 1139, 1132, 1038	50 50
					रहैया		319, 580, 649, 801, 803, 805, 941, 676, 806, 940, 943, 942	
					बालूमाथ-204	चेताग	81, 82, 83, 84, 86, 381	50
						योग:-	200	1027
						सकल योग:-		


 अपर प्रशासन मुख्यमन्त्री, विकास
 झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्यान्वयित की जानेवाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण” योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का अधिम कार्य का स्थल विवरणी।

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रमंडल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	आना / थाना नं०	स्थल / ग्राम का नाम	प्लॉट संख्या	रक्खा हो 0 में
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix
1	चतरा प्रमण्डल	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल	हंटरगंज वनरोपण राजपुर प्रक्षेत्र	हंटरगंज कान्हाचही	हंटरगंज-74 चतरा-50	जोराकरम जमरी बक्सपुरा	22, 1285, 1289, 1326, 1523, 1554, 1555, 1657, 1887, 1979	50 25
			चतरा वनरोपण		चतरा-124	इलहा	584, 586, 511	25
				योग :-				100
2	चतरा प्रमण्डल	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	चतरा प्रक्षेत्र सिमरिया प्रक्षेत्र	चतरा सिमरिया	चतरा-12 सिमरिया-130	मक्खांवा कोरी	1315, 1317, 1324 435, 436, 440, 416, 417, 418, 27	50 50
				योग :-		देन्हा	621, 622, 623, 624, 321	
3	गिरिझीह प्रमण्डल	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	बागोदर वनरोपण बागोदर वन प्रक्षेत्र	सरिया बागोदर	बागोदर-18 बागोदर-247	परसिया बालक	1344 to 1366, 1368P, 1331, 1342, 1370P 2113, 2115, 2117P, 2852	50 30
				योग :-				80
4	गढ़वा प्रमण्डल	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा	सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, भवनाथपुर। सामाजिक वानिकी प्रक्षेत्र, नगर।	भवनाथपुर भवनाथपुर भवनाथपुर	भवनाथपुर-17 मकरी-II भवनाथपुर-56	भवनाथपुर-17 मकरी-II अरसली	66,65,64,60,59पै० 2263पै०,2337पै०	50 50
				योग :-				100
5	पलामू प्रमण्डल, लातेहार	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	सतबरवा मनिका-116	कमारु मनिका-116	योग :-	2251, 2252, 2290, 2173, 2174, 2218, 2193, 2194, 2500	40 40
				सकल योग :-				420

अपर प्रधान मुख्य चउ संरक्षक, विकास
ज्ञारखण्ड राँची।





आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चातुर्वर्षीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-27/2017/1071

दिनांक -

21-Aug-2


क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789580103	56996	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	16,076,900.00 रुपये एक करोड़ साहठ लाख छहत्तर हजार नौ सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601789580103	56998	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	15,303,400.00 रुपये एक करोड़ तीरपन लाख तीन हजार चार सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601789580103	57000	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	18,166,700.00 रुपये एक करोड़ इक्कासी लाख सात सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
				49,547,000.00

योग:

रुपये चार करोड़ पिंचानवे लाख सैतालीस हजार

(SHRI SATNAM SINGH)
ADDI.PROP.DIVANARSHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	57003	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	1,574,800.00 रुपये पंद्रह लाख चौहत्तर हजार आठ सौ
5	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	57006	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	11,817,500.00 रुपये एक करोड अठारह लाख स त्रह हजार पैंच सौ
6	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	57008	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	9,135,300.00 रुपये इनकानवे लाख पैतीस हजार तीन सौ
योग: 22,527,600.00				
क्रमिक योग: 72,074,600.00				



(SHRI SATNAM SINGH)


क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	57009	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	11,080,100.00 रुपये एक करोड दस लाख अस्सी हजार एक सौ
8	S 19 240601789580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	57010	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	17,190,500.00 रुपये एक करोड इकहत्तर लाख नव्वे हजार पाँच सौ
9	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	57013	PLMFOR070 NAresh CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	9,935,500.00 रुपये निनानवे लाख पैतीस हजार पाँच सौ
योग:				38,206,100.00
क्रमिक योग:		रुपये ग्यारह करोड दो लाख अस्सी हजार सात सौ		110,280,700.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601789580323	57017	CTRFOR002	9,887,100.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		RAVINDRA NATH MISHRA	रुपये अठानवे लाख सित्यासी हजार एक सौ
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		D.F.O, NORTH DIV.	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		CHATRA	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)			
	Central Scheme : NA			
11	S 19 240601789580323	57018	CTRFOR003	12,300,700.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		MADHUKAR	रुपये एक करोड तेहस लाख सात सौ
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		D.F.O. SOUTH DIVN.	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		CHATRA	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)			
	Central Scheme : NA			
12	S 19 240601789580323	57020	KDMFORA01	1,140,000.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		MITHILESH KUMAR	रुपये ग्यारह लाख चालीस हजार
	789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		SINGH	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		D.F.O. KODERMA	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)			
	Central Scheme : NA			
योग:				23,327,800.00
क्रमिक योग:				133,608,500.00
 (SHRI SATNAM SINGH) <small>ADDI.P.S.C.H.W.A.N.A.R.HAND</small>				

क्रमांक	विप्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	57021	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	7,976,600.00
14	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	57023	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	5,509,600.00
15	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	57026	GRHFWL003 SHYAM BIHARI PRASAD DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	7,170,300.00
State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA				
State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA				
State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA				
योग:				20,656,500.00
क्रमिक योग:		रुपये पंद्रह करोड बयालीस लाख पैसठ हजार		154,265,000.00
 (SHRI SATNAM SINGH) ADDITIONAL PWD WARDEN, JHARKHAND				
Page 5 of 6	117,198,45,204	BANCHI	Run Date	21/8/2017

क्रमांक	विप्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601789580323 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	57028	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	11,014,300.00 रुपये एक करोड दस लाख चौदह हजार तीन सौ

State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)
 Central Scheme : NA



योगः

11,014,300.00

क्रमिक योगः

165,279,300.00

रुपये सोलह करोड बावन लाख उन्नारी हजार तीन सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

ADDI.PSDP DIVISION RANCHI